न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 15/2019 जिला जयपुर

1. भोलाराम दत्तक पुत्र हरिया, जाति बलाइ, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलराई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त, जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
3. भोलाराम पुत्र सुखदेव, जाति जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलराई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)।
4. राजेन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी, जाति जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलराई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)।
5. विजेन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी, जाति जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलराई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)।
6. गोपाल लाल पुत्र श्री सुन्दर लाल, जाति जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलराई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)।
7. ग्यारसी लाल पुत्र श्री सुन्दर लाल, जाति जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलराई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)।
8. श्योजीलाल पुत्र श्री सुन्दर लाल, जाति जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलराई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)।
9. हनुमान सहाय पुत्र श्री रामनाथ, जाति जाट, निवासी–ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलराई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 90बी (7) भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 25.04.2007, प्रकरण संख्या 19/2007 के विरूद्ध।

उपस्थित–

1. श्री हरलाल सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री शिवसिंह चौधरी रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक–07.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 25.04.2007 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा–5 एवं 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 25.04.2007 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 25.04.2007 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम रामसिहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित विवादग्रस्त भूमि गत खसरा न0 74 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा न0 75 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा अपीलान्ट काबिज खातेदार काश्तकार था तथा भूमि उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी तथा भूमि का वो हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करता तथा भूमि का लगान अदा करता था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भोलाराम पुत्र सुखदेव ने दिनांक 22.01.1973 को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर के न्यायालय में विवादाग्रस्त भूमि के संबंध में एक दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 74 व 75 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा पर वादी का कब्जा अर्सेदराज से पूर्वजों के जमान से है, वादी भूमि का विकास करना चाहता है। उपखण्ड अधिकारी, जयपुर ने वाद पत्र पंजिकृत कर अपीलान्ट को समन जारी करने के आदेश पारित किये परन्तु किसी समन की काई तामिल अपीलान्ट को नहीं हुई ना ही अपीलान्ट ने न्यायालय उखण्ड अधिकारी, जयपुर के समक्ष कोई इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा ना ही कोई अधिवक्ता नियुक्त किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 भोलाराम अपीलान्ट का पड़ौसी खातेदार रहा है जिस पर अपीलान्ट ने सदैव विश्वास किया है। संभवतः इसी विश्वास का फायदा उठाकर अपीलान्ट को धोखे में डालकर कोई अंगूठा निशानी कभी करवाली हो तो अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं है ना ही अपीलान्ट कभी किसी न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाले बयान दिये। अपीलान्ट ने उक्त अवैध निर्णय व डिक्री को निरस्त करवाने हेतु न्यायालय अपर सिविल न्यायधीश, क्र म –26, जयपुर महानगर, जयपुर सांगानेर, जयपुर के न्यायालय में वाद दायर कर रखा है, जो विचाराधीन है। प्राधिकृत अधिकारी, जोन–8, रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने रेस्पोडेन्ट भोलाराम से मिलीभगत कर अपीलान्ट के भूमि में अधिकार समाप्त करने के उद्धेश्य से अपीलाधीन आदेश अपने हक में पारित करवाकर अपने पारिवारिक सदस्यों जो रेस्पोडेन्ट संख्या–4 लगायत 9 के हक में पट्टे जार करवा लिये जो प्रारम्भ से ही अपीलान्ट के अधिकारों के विरूद्ध प्रभावशुन्य है जिससे न तो अपीलान्ट के भूमि में अधिकार समाप्त होते हैं तथा ना ही रेस्पोडेन्ट को भूमि में अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के एकतरफा आवेदन पर बिना अपीलार्थीगण को सुनवई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गयें जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि सम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 25.04.2007 निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 25.04.2007 केवल स्वैच्छिक समर्पण से संबंधित है जिसमें भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 107 लगायत 112 कुल किता 6 रकबा 1.92 है0 का स्वैच्छिक समर्पण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जिसमें समर्पण संबंधित कोई विवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं था। धारा 90बी(3) के अंतर्गता पारित आदेशों के विरूद्ध कोई अपील का

समागीय आयुक्त
जयपुर

प्रावधान धारा 90बी(3) में नहीं दिया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष पक्षकार नहीं था ना ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया है ऐसी अवस्था में प्रारम्भिक अवस्था में ही अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा–5 में कथन किया है कि प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.04.2007 की पूर्व में वास्तविक जानकारी नहीं थी तथा भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम अंकित थी। अपीलाधीन 90बी भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश की जानकारी प्राप्त की व सूचना के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्राप्त होने पर अपीलान्ट को यह जानकारी हुई एवं अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से भूमि वादगस्त पर प्रार्थी के अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पूर्व में प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.11.1973 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 5 के संबंध में कारण संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है कि उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में हुये विलम्ब लगभग 12 वर्षों का ठोस कारण सन्तोषप्रद नहीं दिया गया है एवं ना ही प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश करने की अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया हैं एवं प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार होने संबंधी ठोस साक्ष्य एवं सबूत भी पेश नहीं किये हैं ऐसी स्थिति में लगभग 12 वर्षों की अवधि की विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण में अपीलार्थी का कोई लोकस स्टेण्डाई प्रतीत नहीं होने के कारण रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–8, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 25.04.2007 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर